BES1-MISC/25.1/6/2024-XXIV-A-1-Basic Education Department

1/209832/2024

संख्या:209832/XXIV-A-1/2024-70142/2024

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून : दिनाँक: 09 मई, 2024

विषयः उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा (यू0टी0ई0टी0) आयोजित किये जाने सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 04 मार्च, 2016 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक/सेवायें–2/3क(2)/32518/दिव्यांग/2023–24 दिनांक 12 फरवरी, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून के कार्यवृत्त दिनांक 05 फरवरी, 2024 के क्रम में उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा (यू0टी0ई0टी0) आयोजित किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या–867, दिनांक 13 नवम्बर, 2017 एवं शासनादेश संख्या–163, दिनांक 04 मार्च, 2016 में सभी वर्गों के दिव्यांगजनों हेतु उत्तीर्णांक अनुसूचित जाति के समकक्ष 40 प्रतिशत रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–867, दिनांक 13 नवम्बर, 2017 एवं शासनादेश संख्या–163, दिनांक 04 मार्च, 2016 के प्रस्तर–4(3) में न्यूनतम अर्हता अंक (Qualifying Marks) में उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा (यू0टी0ई0टी0) में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 60 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग अभ्यर्थियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिकों (स्वयं) हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक 50 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

3– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी यदि दिव्यांग श्रेणी में भी हो तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिये उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा (यू0टी0ई0टी0) में न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत ही समझा जायेगा। कृपया उक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 08-05-2024 20:51:48

(रविनाथ रामन)
सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून।

2– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3– निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तराखण्ड देहरादून।

4– सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।

5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Bhupendra Singh Bora
Date: 09-05-2024 13:05:41

(भूपेन्द्र सिंह बोरा)
संयुक्त सचिव।